

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), झुन्झुन

क्रमांक: F 1 (3) RELIEF/2025/AH 936

दिनांक: 25/09/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/JHU/0010444

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंभा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सन्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/JHUN/2025/095338	नाम: Naresh पिता का नाम: Kurada Ramजिला: झुन्झुन	बामलास, बामलास, गुढा गोरजी, पंचायत समिति -उदयपुरवाटी, ग्राम पंचायत -बामलास, गाँव - बामलास	04/05/2025	आकाशीय बिजली	श्री नरेश पुत्र श्री कुरडाराम निवासी ग्राम बामलास तहसील गुढागोडजी के दिनांक 04.05.2025 को आकाशीय बिजली गिरने से 2 गाय की क्षति होने पर एस.डी.आर.एफ. नोम्स अनुसार राशि रु 75000/- स्वीकृत की गई है।	75000
2	AR/JHUN/2024/087884	नाम: Mahendra पिता का नाम: Nanadramजिला: झुन्झुन	0, WARD NO.2, ब्रह्मना, पंचायत समिति -बुहना, ग्राम पंचायत -बड़बर, गाँव - बड़बर	06/09/2024	आकाशीय बिजली	श्री महेंद्र पुत्र श्री नानडराम निवासी ग्राम बड़बर के दिनांक 06.09.2024 को आकाशीय बिजली गिरने से डूट की मृत्यु होने पर एस.डी.आर.एफ. नोम्स अनुसार राशि रु 32000/- स्वीकृत की गई है।	32000
योग							107000

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-102]-12

प्रतिनिधि -निम्नान्किताँ को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभानीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, झुन्झुनर
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, झुन्झुनर
7. रोकडपाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
जिला कलेक्टर
झुन्झुनर

(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
जिला कलेक्टर
झुन्झुनर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), झुन्झुन

क्रमांक: f 1 (3) Relief/Fire/2025 935

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/JHU/0010446

दिनांक: 25/09/2025

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंभा सहित प्राप्त निम्न आग (गांव आग) के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 NDM-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मंचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आग (गांव आग)से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/JHUN/2025/0960 86	नाम: Manoj Kumarपिता का नाम: Rajender Prasadजिला: झुन्झुन	LALAMANDI, LALAMANDI, बहाना, पंचायत समिति -बहाना, ग्राम पंचायत -उदाभाण्डी, गांव - लालामाण्डी	14/04/2025	आग (गांव आग)	श्री मनोज पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी लालामाण्डी के दिनांक 14.04.2025 को अग्निकाण्ड से बकरी की मृत्यु होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्स अनुसार राशि रु 4000/- स्वीकृत की गई है।	4000
2	AR/JHUN/2025/0960 85	नाम: Manoj Kumarपिता का नाम: Rajender Prasadजिला: झुन्झुन	LALAMANDI, LALAMANDI, बहाना, पंचायत समिति -बहाना, ग्राम पंचायत -उदाभाण्डी, गांव - लालामाण्डी	14/04/2025	आग (गांव आग)	श्री मनोज पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी लालामाण्डी के दिनांक 14.04.2025 को अग्निकाण्ड से भैंस की मृत्यु होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्स अनुसार राशि रु 37500/- स्वीकृत की गई है।	37500
योग							41500

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जावेगा :- 2245-01-800-(03)-1021-12

प्रतिराशि -निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभानीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, सुन्सुन।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सुन्सुन।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय राजा।

(आ.प्र.एव.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सुन्सुन

(आ.प्र.एव.सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सुन्सुन